दिनांक- 10.01.2026

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा सडक पर स्टंट करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,मोटसाइकिल सीज-

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने तथा यातायात के नियम का पालन कराने के लिये विशेष टीम गठित कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.01.2026 को बाईक से स्टंट करने वाले 01 अभियुक्त **बाबर पुत्र इमरान निवासी ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया तथा मोटर साइकिल UP 11CJ 9767 बजाज पल्सर को अन्तर्गत धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार स्टंटबाज का नाम व पता–

बाबर पुत्र इमरान निवासी ग्राम मगनपुरा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

01 मोटर साइकिल UP 11CJ 9767 बजाज पल्सर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम–

1. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 847 धर्मेन्द्र थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक- 10.01.2026

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतो के निस्तारण में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर पुलिस का माह दिसम्बर-2025 मे प्रथम स्थान

- ***जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान की मिसाल बनी सहारनपुर पुलिस***

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के कुशल निर्देशन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण में जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा आईजीआरएस (एकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली) के माध्यम से प्राप्त आमजन की शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण निरंतर किया जा रहा है।आईजीआरएस पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में जनपद सहारनपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश स्तर पर **माह दिसम्बर-2025 मे प्रथम स्थान प्राप्त कर** एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि न केवल पुलिस विभाग के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह टीम वर्क, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है।

जनपद के समस्त थाना प्रभारियों एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, उनकी स्थलीय जांच कर तथ्यात्मक एवं संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया गया। साथ ही शिकायतकर्ता को नियमानुसार समय-समय पर जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिससे आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। आईजीआरएस पर की गई शिकायतों के निस्तारण के उपरांत आमजन द्वारा सकारात्मक फीडबैक भी प्रदान किया गया, जो इस बात का संकेत है कि सहारनपुर पुलिस जनसमस्याओं के समाधान हेतु पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर रही है।

-प्रेस नोट-

दिनांक:10.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे मे गैगस्टर अधिनियम के अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 09.01.2026 को अनुमोदित शुदा गैग चार्ट के आधार पर थानाध्यक्ष महोदय श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना द्वारा थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 16/2026 धारा 2/3(1) गैगस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए वांछित अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया। आदेश के क्रंम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त मे नामित/वांछित अभियुक्त 1. नासिर पुत्र गफूर उर्फ गफूरा निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2.आदिल पुत्र नासिर निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को दिनाँक 10.01.2026 को अब्दुल्लापुर अहाडी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. नासिर पुत्र गफूर उर्फ गफूरा निवासी ग्राम ग्राम पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. आदिल पुत्र नासिर निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

अभियुक्त नासिर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 16/26 धारा 2/3(1) गैगस्टर अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

अभियुक्त आदिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0स0 130/24 धारा 379/411/414 भादवि व 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 16/26 धारा 2/3(1) गैगस्टर अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1- थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2- व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4- है0का0 436 धर्मसिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5- का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक-10.01.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस व आबकारी टीम की संयुक्त चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 48 अद्धे रसीला माल्टा मसालेदार देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि **पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन मे अवैध शराब की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 09.01.2026 को पुलिस टीम व आबकारी टीम की संयुक्त चैकिंग/गश्त के दौरान **01 नशा** तस्कर **अभियुक्त सुबोध पुत्र पूरन निवासी ग्राम मन्धौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम मन्धौर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 48 अद्धे रसीला माल्टा मसालेदार देशी शराब ब्रांड फोर सेल इन हरियाणा ओनली मार्का बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 14/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुबोध पुत्र पूरन निवासी ग्राम मन्धौर थाना सरसावा जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

- 48 अद्धे रसीला माल्टा मसालेदार देशी शराब ब्रांड फोर सेल इन हरियाणा ओनली मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. श्री पंकज सिंह चौहान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 नकुड सहारनपुर मय टीम।
2. उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
3.का0 2466 रोहित थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
3. का0 2431 दीपक कुमार थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

दिनांक- 10.01.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

मादक पदार्थ तस्करी पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम का करारा प्रहार — 01 तस्कर गिरफ्तार, कुल 24.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्कर / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा दिनांक 10.01.26 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **आजाद पुत्र शहजाद निवासी भैंसराऊ थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को भैंसराऊ से गंगाली वाले रास्ते पर फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 24.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 18/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आजाद पुत्र शहजाद निवासी भैंसराऊ थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 24.45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संजय यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है0का0 234 रोहित तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 10.01.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

ऑपरेशन सवेरा के अन्तर्गत मादक पदार्थ तस्करी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई, पिट-एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत बंदी को किया गया निरूध्द।

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगातार कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सचिव (गृह विभाग) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (पिट-एनडीपीएस एक्ट) की धारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।

उक्त अधिनियम के अंतर्गत **अभियुक्त इमरान पुत्र यामीन उर्फ यासीन, निवासी ग्राम मैनपुरा उर्फ मोहनपुरा, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर** को भविष्य में स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों की तस्करी एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकने के उद्देश्य से निरुद्ध बंदी किया गया है। यह कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था, समाज की सुरक्षा तथा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के दृष्टिगत की गई है।

निरोधात्मक आदेश के अनुपालन में संबंधित अभियुक्त को जिला कारागार, सहारनपुर में निरुद्ध रखा गया है। यह कार्रवाई मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध सरकार एवं पुलिस प्रशासन की जीरो टॉलरेन्स नीति को दर्शाती है।

जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण एवं वितरण से जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु निरंतर सतर्कता एवं कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि समाज में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए नशामुक्त एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 10.01.2026

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

ऑपरेशन सवेरा के अंतर्गत जिला कारागार सहारनपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

आज दिनांक **10.01.2026** को **अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय एवं सहायक पुलिस अधीक्षक सिमरन सिंह, सहारनपुर** द्वारा **जिला कारागार, सहारनपुर** में *ऑपरेशन सवेरा* के अंतर्गत एक **विशेष जागरूकता कार्यक्रम** का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य कारागार में निरुद्ध बंदियों को **नशा मुक्त जीवन के प्रति प्रेरित करना** तथा समाज में पुनः सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु उन्हें जागरूक करना रहा।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा बंदियों को नशे के **दुष्परिणामों**, इसके सामाजिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले **नकारात्मक प्रभावों** के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि नशा किस प्रकार व्यक्ति के जीवन, भविष्य और समाज को प्रभावित करता है तथा इससे दूर रहकर ही एक स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन जिया जा सकता है।

इस अवसर पर बंदियों से संवाद स्थापित कर उन्हें **नशा त्यागने, नशा मुक्त जीवन अपनाने** के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी बंदियों को **नशा न करने एवं दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ** दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम के माध्यम से बंदियों में **आत्मचिंतन, सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन** की भावना विकसित करने का प्रयास किया गया।

दिनांकः 10-01-2026

प्रेस नोट

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस की तत्पर कार्रवाई- जंगल ग्राम नाई माजरा में मिले मृत गौवंश का विधिसम्मत कराया गया निस्तारण

अवगत कराना है कि दिनांक **09.01.2026** को **ग्राम नाई माजरा** के जंगल क्षेत्र में एक मृत गौवंश के पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। थाना गंगोह पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर जाँच की गई।

जाँच के दौरान पशु चिकित्सक **डॉ. मुकेश कुमार** को मौके पर बुलाया गया, जिनके द्वारा मृत गौवंश का निरीक्षण कर **प्रथम दृष्टया गौहत्या की कोई आशंका नहीं** जताई गई। विस्तृत जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त गौवंश **आफताब पुत्र तथीर अब्बार**, निवासी ग्राम नाई माजरा, थाना गंगोह, जनपद सहारनपुर की पालतू गाय थी, जिसकी मृत्यु **दिनांक 07.01.2026 को लगभग 12–1 बजे के बीच बीमारी के कारण** हो गई थी।

मृत्यु के उपरांत आफताब द्वारा शाम के समय (लगभग 5–6 बजे) गाय को भैसा-बुग्गी में रखकर जंगल में दफनाने ले जाया जा रहा था। गाँव के बाहर यमुना पुस्ते के पास सामने से ट्रैक्टर-ट्रॉली आने के कारण बुग्गी ढलान में फिसल गई, जिससे मृत गाय नीचे गिर गई। अकेला होने के कारण वह मृत गाय को वहीं छोड़कर चला गया। उक्त गाय का लगभग **11 माह का बछड़ा वर्तमान में उसके घर पर मौजूद** है।

पुलिस जाँच में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि **गाय की मृत्यु बीमारी के कारण हुई है तथा किसी भी प्रकार की गौकशी नहीं की गई है**। मृत गाय के शव को **नियमानुसार सुरक्षित स्थान पर**, ट्रैक्टर के उपकरणों द्वारा गड्ढा खुदवाकर, **विधिवत नमक डालकर दफनाया गया**।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा की गई इस त्वरित एवं पारदर्शी कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं जनविश्वास बनाए रखने का कार्य किया गया।

प्रेस नोट

दिनांक- 10.01.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तरप्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के मामले मे वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 10.01.2026 को धोखाधडी को मामले मे वांछित **अभियुक्त मागेंराम पुत्र कंवरपाल सिह निवासी ग्राम मझेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर** सम्बन्धित मु0अ0स0 148/25 धारा 318(2)/338//336(3)/340(2) बीएनएस को ग्राम मुजफ्फराबाद स्थित दुर्गा अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र से गिरफ्तार किया गया । गिऱफ्तार अभियुक्त के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मागेंराम पुत्र कंवरपाल सिह निवासी मझेडी थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री बांकेलाल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मुकेश सोलंकी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 1666 पंकज कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर